5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

## माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.कं.–................/निगरानी/19

निगरानी-0579/2019/मन्दसौर/भू.रा.

श्री ......... द्वारा आज दि. 06.5.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.5.19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– विक्रमसिंह पिता श्री दलपतसिंह जी राजपुत
उम्र–58 वर्ष, व्यवसाय–खेती
निवासी–ग्राम कटलार, तह. व जिला–मंदसौर (म.प्र.)

2– भागीरथ पिता श्री जीवाजी चौहान
उम्र–60 वर्ष, व्यवसाय–खेती
निवासी–नाका नं.10, प्रतापगढ रोड, मंदसौर
तह. व जिला–मंदसौर (म.प्र.) — निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– अजय पिता श्री धर्मराज
निवासी–डिब्बीपुरा, धानमण्डी, मंदसौर
तह. व जिला–मंदसौर (म.प्र.)

2– न्याज परवीन पति शराफत मोहम्मद
निवासी–मदारपुरा, मंदसौर
तह. व जिला–मंदसौर (म.प्र.)

3– शीनू पति योगेन्द्र शर्मा
निवासी–तिरूपति नगर, मंदसौर
तह. व जिला–मंदसौर (म.प्र.)

4– म.प्र. शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय
जिला–मंदसौर (म.प्र.) — रेस्पांडेंट्स

06/05/19

**निगरानी तहत् धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता**
**निगरानी खिलाफ आदेश न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कं–375/2019/अपील विक्रमसिंह राजपुत बनाम अजय पिता धर्मराज खिंची में पारित आदेश दिनांक–11.04.19 से व्यथित होकर सदर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है।**

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से निम्नलिखित रूपसे निगरानी मेमों प्रस्तुत है:–

1. यह कि, विद्वान अधिनस्थ माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा पारित प्रश्नाधिन आदेश दिनांक–11.04.19 सरिहन गलत व

निरंतर ...

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-579/2019/मंदसौर/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15/05/2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर जिला मंदसौर ने अपने आदेश दिनांक 13.03.2019 द्वारा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) के तहत कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर निर्देश दिए हैं। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन अमान्य करते हुए प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 27.05.2019 नियत की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी संहिता की धारा-50 के तहत पेश की गई है। चूंकि यह प्रकरण नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।<br><br>(बी.एम. शर्मा)<br>सदस्य | |